

प्रपत्र-2

(नियम 24(1) देखें)

पंजीयन प्रमाण - पत्र

श्रम विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पंजीयन संख्या- D28002446/2017-18/_____/भ०औ०अ०सन्नि०कर्म०

सत्यापन तिथि - 12/06/2017

कार्यालय उप/सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1996 की धारा 7 की उपधारा 3अ के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए निर्मला इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड प्लॉट न०-१ मकदूमपुर वरदान खण्ड गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है :-

1. उस स्थान का डाक पता / अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है : खसरा १२८, १३० धावा देवा रोड चिनहट लखनऊ
2. नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है : श्री शिवम द्विवेदी पुत्र श्री शैलेन्द्र द्विवेदी, सी -१/५५ विक्रांत खण्ड गोमती नगर लखनऊ
3. स्थापन का नाम और स्थायी पता : खसरा १२८, १३० धावा देवा रोड चिनहट लखनऊ, प्लॉट न०-१ मकदूमपुर वरदान खण्ड गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ
4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किये जाने हैं: सिविल कंस्ट्रक्शन [अपार्टमेंट]
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या : 25
6. कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख: 20/04/2017 से 30/05/2022
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियां :

निम्न कार्य के लिए

सिविल कंस्ट्रक्शन [अपार्टमेंट]

प्रधान नियोजन का नाम व पता

निर्मला इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड प्लॉट न०-१ मकदूमपुर वरदान खण्ड गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ

यहाँ ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात :-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थानान्तरानीय होगा:

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या 10 से अधिक नहीं होगी:

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए सद्रत्त की हई फीस अप्रतिदेय होगी !

(घ) भवन निर्माण सद्रत्त कर्मकारों के नियोजक द्वारा संज्ञेय मजदूरी दर ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरें किसी करंट समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गयी हैं वह इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी !

(ङ) नियोजन अधिनियम और उनके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा !

पंजीयन अधिकारी

भवन और अन्य निर्माण कर्मकार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारिता प्राप्त संपादन तिथि/दिनांक

बाल मजदूरी हटाये, बचपन बचाए.....

2000..... कार्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ क्षेत्र